

ADVERTISEMENT

FOR APPOINTMENT OF VICE-CHANCELLOR FOR KUMAON UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

It is proposed to appoint a Vice-Chancellor for the Kumaon University, Nainital (established under the UP State University Act, 1973 (as adopted and modified in Uttarakhand) out of a panel to be recommended by a Search-cum-selection Committee, constituted in terms of Section 12 (2) of the above-mentioned Act. The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he assumes the charge of his office or till the age of superannuation (i.e. 65 years), whichever is earlier.

As the Vice-Chancellor shall be the Principal Executive and Academic Officer of the University, he must be a person of highest level of competence, integrity, moral and institutional commitment. He should be a distinguished academician, with a minimum of ten years experience as Professor in a University system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and/ or academic administrative organization.

Those, having above mentioned qualifications and interested in applying or nominating other person(s), for consideration by the Search-cum-Selection Committee, may send their applications/nominations, along with detailed bio-data in triplicate, to Convener, Search-cum-Selection Committee, C/o Governor's Secretariat, Raj Bhavan, Dehradun- 248003 (Uttarakhand), within a period of 15 days from the publication of this advertisement.

The application received after the last date will not be entertained.

**Principal Secretary
to Governor, Uttarakhand**

विज्ञप्ति

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12(2) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित सर्च कमेटी द्वारा संस्तुत पैनल में से कुमांयू विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति की जानी है। कुलपति पद पर नियुक्त व्यक्ति योगदान की तिथि से 03 वर्ष अथवा शासन द्वारा निर्धारित अधिवर्षता आयु (अधिकतम 65 वर्ष), जो भी पहले हो, तक के लिये पदधारित करेगा।

कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी व शैक्षणिक अधिकारी होता है, अतः उक्त पद हेतु उसे उच्चतम स्तर की क्षमता, निष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता का व्यक्ति होना चाहिए। उसे प्रतिष्ठित विद्वान तथा विश्वविद्यालय पद्धति में प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव अथवा समकक्ष स्तर के पद पर किसी ख्याति प्राप्त शोध संस्थान या शैक्षिक प्रशासनिक संस्थान में 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

उक्तानुसार योग्यता रखने वाले तथा आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अथवा अन्य व्यक्तियों को सर्च-कमेटी के सम्मुख विचारार्थ नामित किये जाने के इच्छुक आवेदक अपना अथवा नामित व्यक्ति का आवेदन, विस्तृत जीवनवृत्त सहित तीन प्रतियों में, संयोजक, सर्च-कम-सलेक्शन कमेटी, द्वारा-राज्यपाल सचिवालय, कैंट रोड़, देहरादून-248003 को इस विज्ञप्ति के प्रकाशन से 15 दिन के भीतर प्रेषित कर सकते हैं।

उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

**प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल,
उत्तराखण्ड।**